प्रश्न :— राज्य की परिभाषा एवं इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। क्या भारत की इकाईयाँ राज्य हैं ?

उत्तर :— Introduction :— राज्य राजनीति विज्ञान का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हमें इसके अर्थ एवं रूप का अध्ययन करना आवश्यक है। आज राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है जिनमें से कुछ अर्थ ऐसे हैं जिन्हें हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए भारत तथा अमेरिका के संविधानों में संघ की इकाईयों को "राज्य" कहा गया है लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ये राज्य नहीं वरन् राज्य की इकाईयाँ हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य का प्रयोग विशिष्ट तथा वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है। अतः इस रूप में ही मेरे द्वारा राज्य का अध्ययन किया जायेगा।

राज्य की परिभाषा :— एक स्थान पर मैकाइवर ने लिखा है कि "यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएँ विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है" इसका मुख्य कारण विभिन्न समयों में राज्य के उद्देश्यों और कार्यों का अलग-अलग विचार का होना है। यहाँ राज्य की परिभाषा को दो भागों में बाँटकर अध्ययन करेंगे।

प्राचीन विचारकों के अनुसार — अरस्तू ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि "राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

सिसरो ने कहा है कि — "राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

अरस्तू और सिसरो द्वारा दी गयी राज्य की ये परिभाषाएँ राज्य के उद्देश्य पर थोड़ा प्रकाश डालती हैं लेकिन राज्य का वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट नहीं करती हैं।

आधुनिक परिभाषाएँ — वर्तमान समय में विद्वानों का विचार है कि केवल व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण नहीं होता राज्य के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति भली प्रकार संगठित हो एवं संगठित जीवन बिताने के लिए एक निश्चित क्षेत्र में बसना आवश्यक है इसको ध्यान में रखते हुए राज्य की परिभाषा विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से दी गयी है — ब्लंशली ने कहा है कि "किसी निश्चित भू-भाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है

बुडरो विल्सन – "राज्य एक निश्चित प्रदेश के अन्तर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है।"

लास्की – "राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजाजनों में विभाजित है जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है क्रमश: उपरोक्त दो परिभाषाओं में सम्प्रभुता का उल्लेख नहीं किया गया है जो राज्य का प्राण है। लॉस्की द्वारा दी गई परिभाषा में आन्तरिक सम्प्रभुता का वर्णन किया गया है लेकिन बाह्य सम्प्रभुता का जिक्र नहीं किया गया है।

मान्य परिभाषाएँ – फिलिमोर, गिलक्राइस्ट और गार्नर ने जो राज्य की परिभाषा दिया है इसमें राज्य के चारों आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। गार्नर ने अनुसार – "राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भू-भाग में स्थायी रूप रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावत: करता हो।" उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इनमें राज्य के चारों आवश्यक तत्व जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार तथा सम्प्रभुता का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की जो परिभाषा दी गयी है उसका प्रभुसत्ता सम्बन्धी सार भी इन परिभाषाओं में आ गया है। अत: वर्तमान समय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिलिमोर, गिलक्राइस्ट एवं गार्नर द्वारा दी गयी ये परिभाषाएँ ही मान्य हैं।

राज्य के आवश्यक तत्व – उपर्युक्त विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं के आलोक में निम्नलिखित चार तत्वों का वर्णन किया जा सकता है –

(1) जनसंख्या – जनसंख्या राज्य का प्रथम आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन एक राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इस पर विद्वानों में मतभेद है। यूनानी विचारकों ने एक आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने प्रजातंत्र को सर्वोत्तम माना था। इसलिए प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या 5040 एवं सिसरो ने 10,000 हजार और अरस्तू ने सीमित जनसंख्या का समर्थन किया। लेकिन वर्तमान समय में आवागमन के साधनों के अत्यधिक विकसित हो जाने, प्रतिनिधित्वात्मक शासन तथा संघ राज्य को अपनाए जाने के कारण

जनसंख्या का अधिक मात्रा में होना महत्व नहीं रखता। जनसंख्या के सम्बन्ध में संख्या की अपेक्षा गुणवान होना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिकों के गुणों पर ही राज्य का स्वरूप निर्भर करता है। अतः राज्य की स्थिरता और सांस्कृतिक सम्पन्नता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के नागरिक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ हों। अरस्तू ने ठीक ही कहा है कि "नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता ही एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है।"

(2) निश्चित प्रदेश → निश्चित प्रदेश या भू-भाग राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। जब तक जन समुदाय पृथ्वी के किसी भू-भाग पर स्थायी रूप से निवास नहीं करता तब तक वह राज्य नहीं बन सकता। लेकिन कुछ विचारकों ने राज्य के इस तत्व को स्वीकार नहीं किया है। लियोन डिगिट, सीले का मानना है कि क्षेत्र राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है।

लेकिन वर्तमान समय में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से इनके विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि बिना प्रदेश के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। राज्य राजनीतिक रूप से संगठित मनुष्यों का एक समुदाय है और इन व्यक्तियों में संगठन स्थापित करने तथा शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्थायी रूप से प्रदेश का रहना आवश्यक है। यदि कोई प्रदेश खनिज पदार्थों और विद्युत की दृष्टि से सम्पन्न होता है तो उस राज्य का आर्थिक औद्योगिक विकास तीव्र गति से होता है। इतना ही नहीं जल तीन सीमाओं से घिरे हुए राज्य सुदृढ़ होते हैं। राज्य का छोटा या बड़ा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन प्रदेश के सम्बन्ध में इतना जरूर कहा जा सकता है कि राज्य की जनसंख्या और क्षेत्र में कोई अनुपात अवश्य होनी चाहिए।

(3) सरकार — सरकार राज्य का तीसरा और संगठनात्मक तत्व है। यह राज्य की आत्मा है। किसी निश्चित प्रदेश के निवासी तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक उसका राजनीतिक संगठन न हो, यह राजनीतिक संगठन सरकार है। इसके द्वारा राज्य के लक्ष्यों एवं नीतियों को कार्यान्वित किया जाता है। सरकार राज्य और जनता के बीच कड़ी का काम करता है। भूतकाल में राज्य के कार्य सीमित थे लेकिन वर्तमान में लोककल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाए जाने के कारण राज्य का कार्य अधिक व्यापक हो गया है।

जहाँ तक राज्य के स्वरूप का सवाल है सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक सरकार अन्य प्रकार की सरकारों की तुलना में श्रेष्ठ समझी जाती है।

Scanned with CamScanner

सम्प्रभुता :- यह राज्य का चौथा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता। इसे राज्य का प्राण भी कहा जाता है। सम्प्रभुता दो प्रकार की होती है (i) आन्तरिक सम्प्रभुता और (ii) वाह्य सम्प्रभुता।

आन्तरिक सम्प्रभुता से तात्पर्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, और इन आज्ञाओं का पालन करा सके।

वाह्य सम्प्रभुता से तात्पर्य बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो अर्थात् दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार सम्बन्ध स्थापित एवं विच्छेद कर सके।

अन्त में कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत जनसंख्या, भू-भाग, विधिपूर्वक स्थापित सरकार और सम्प्रभुता का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक तत्व के अभाव में उस संगठन को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

**क्या संघ की इकाइयाँ राज्य हैं ?**

जहाँ तक भारतीय एवं अमेरिकी संघ की इकाइयों का प्रश्न है भारतीय संविधान में कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या संघ की दूसरी इकाइयों के लिए 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह अमेरिकी संविधान में 50 इकाईयों को भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम कह सकते हैं कि राज्य शब्द का इस तरह प्रयोग करना त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि संघ की इकाइयों में राज्य का निर्माण करने वाले क्रमशः प्रथम तीन तत्व मौजूद हैं किन्तु इन इकाईयों की आन्तरिक सम्प्रभुता सीमित होती है तथा वाह्य क्षेत्र में इन्हें सम्प्रभुता प्राप्त नहीं होती अतः चौथे तत्व के अभाव में इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता है।

Scanned with CamScanner